GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Islamia Lilbinat Junior High School, Parikshit Garh, Meerut, Uttar Pradesh – 250 406.

V/s.

1. Additional Chief Secretary, Department of School Education, Government of Uttar Pradesh, Bahu Khandi, Uttar Pradesh – 226 001.

2. Additional Chief Secretary, Department of Secondary Education, Government of Uttar Pradesh, Bahu Khandi, Uttar Pradesh – 226 001.

CASE NO. 64 OF 2022 **Date: 18.11.2026**

Present: Mr. Prashant Kulambil., Advocate for the petitioner.
None for the respondent.

An internal communication dated 27.10.2026 has been received by post before the Commission's office on 02.11.2026 from Deputy Secretary, Secondary Education, Government of Uttar Pradesh, which is taken on record. The said letter has also been received through e-mail on 27.10.2026, which is also taken on record.

Though the case was fixed for final arguments, it transpires from the application filed by the petitioner that the requisite details of the students and teachers have been furnished only for the academic years 2019-2022 and no details for the subsequent academic years have been placed on record.

Learned counsel for the petitioner is directed to file updated details of students and teachers of the petitioner institution for the last two academic years (2025-26 and 2026-27) and updated recognition order issued by the competent authority.

List on 20.01.2027.

DR. SHAHID AKHTER
MEMBER

DD

GOVERNMENT OF BHARAT
NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY
EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Fatima School, Bardhai Bazar, Mankapur, Gonda District, Uttar Pradesh-271302.

Vs.

Additional Chief Secretary, Secondary Education Department, Government of Uttar Pradesh, Bapu Bhawan, 7th Floor, Lucknow, Uttar Pradesh- 226 001.

Case No. 26 of 2025 **Date: 18.11.2026**

Present: Mr. Jose Abraham, Advocate for the petitioner.
None for the respondent.

A letter dated 08.09.2026 has been received by post before the Commission's office on 14.09.2026 from Officer Incharge, Complaint for District Magistrate, Gonda attaching therewith a copy of physical inspection report, which is taken on record.

Learned counsel for the petitioner has filed notarized copy of permanent CISCE affiliation order of Fatima School, Bardhai Bazar, Mankapur, Gonda District, Uttar Pradesh and the students and faculty details for the petitioner institution for the academic year (2026-2027) by hand before the Commission's office on 12.11.2026, which are also taken on record.

Learned counsel for the petitioner has produced original and amended Memorandum of Association of the petitioner society, before the court of the Commission. After due verification, all the original documents have been returned to the learned counsel for the petitioner.

Heard learned counsel for the petitioner. Reserved for orders.

DR. SHAHID AKHTER
MEMBER

DD

GOVERNMENT OF BHARAT
NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS

St. Joseph's Middle School, Damruhat, Sunderpahari, Godda District, Jharkhand-814153.

Vs.

Director, Primary Education, Department of School Education & Literacy, MDI Building, Post Dhurwa, District Ranchi, Jharkhand-834004.

Case No. 35 of 2025 **Date: 18.11.2026**

Present: Mr. Jose Abraham, Advocate for the petitioner.
None for the respondent.

Though the case was fixed for final arguments, it transpires from the application filed by the petitioner before the court of the Commission that the requisite details of the students and teachers have been furnished only for the academic years upto 2024-25, and no details for the subsequent academic years have been placed on record.

Learned counsel for the petitioner is directed to file the updated details of students and teachers of the petitioner institution for the last two academic years (2025-26 and 2026-27) and updated recognition order issued by the competent authority.

List on 21.01.2027.

DR. SHAHID AKHTER
MEMBER

DD

GOVERNMENT OF BHARAT
NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY
EDUCATIONAL INSTITUTIONS

St. Catherine's English Medium School, Raikia P.O., Kandhamal District, Odisha-762101.

Vs.

Director, Elementary Education, 5th Floor, HOD Building, Unit-V, Bhubaneswar, Khordha, Odisha-751001.

Case No. 139 of 2025 **Date: 18.11.2026**

Present: Mr. Jose Abraham, Advocate for the petitioner.
None for the respondent.

Learned counsel for the petitioner is directed to comply with the Commission's earlier order dated 29.09.2026.

List on 21.01.2027.

DR. SHAHID AKHTER
MEMBER

DD

GOVERNMENT OF BHARAT
NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY
EDUCATIONAL INSTITUTIONS

St. Joseph's English Medium School, K. Nagalapuram, Budidapadu Road, Gudur, Kurnool, Andhra Pradesh-518467.

Vs.

Secretary, Department of Minorities Welfare, Government of Andhra Pradesh, 3rd Floor, A.P. Secretariat, Velagapudi, Amaravati, Andhra Pradesh.

Case No. 28 of 2026 **Date: 18.11.2026**

Present: Mr. Jose Abraham, Advocate for the petitioner.
None for the respondent

A letter dated 02.11.2026 has been received by post before the Commission's office on 12.11.2026 from Secretary, Minority Welfare (SDM) Department, Andhra Pradesh, which is taken on record.

A letter dated 16.09.2026, on similar lines has already been received, which is on record. Learned Counsel of the petitioner has already filed rejoinder and does not want to file rejoinder again.

Despite sending rejoinder dated 21.07.2026 filed by the petitioner to the respondent, no response has been received from the members of physical inspection committee till now.

Office is directed to again send a copy of the rejoinder dated 21.07.2026 to respondent for filing their response, failing which, the petition will be proceeded ex-parte against them.

List on 21.01.2027.

DR. SHAHID AKHTER
MEMBER

DD

GOVERNMENT OF BHARAT
NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY
EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Bakshi Polytechnic, Mujar, Machhali Shahar, Jaunpur District, Uttar Pradesh-222127.

Vs.

Principal Secretary, Technical Education, Government of Uttar Pradesh, Room No.63, Naveen Bhawan, UP Secretariat, Lucknow-226001.

Case No. 47 of 2026 **Date: 18.11.2026**

Present: Mr. Prashant Kulambil., Advocate for the petitioner.
None for the respondent.

Learned counsel for the petitioner has filed a certified copy of the Trust Deed and Supplementary trust deed alongwith members of Trust by hand before the Commission's office on 16.09.2026, which are taken on record.

District Magistrate, Jaunpur vide letter dated 25.09.2026 has sent original physical inspection report which was received by post before the Commission's office on 29.09.2026. The same is taken on record.

It transpires from the physical inspection report received from the physical inspection committee that the strength of the Muslim students in the petitioner institution was 11.49% in 2024-2025, 11.84% in 2025-2026 and 06.55% in 2026-2027, which is less than the population of Muslim minority community in the State of Uttar Pradesh as per census of India, 2011 i.e. 19.26%.

Office is directed to supply a copy of the same to the learned counsel for the petitioner.

Learned counsel for the petitioner has prayed for time to take instruction from his client. Time prayed for is allowed.

List on 21.01.2027.

DR. SHAHID AKHTER
MEMBER

DD

GOVERNMENT OF BHARAT
NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY
EDUCATIONAL INSTITUTIONS

St. Mary's Convent School, Mariam Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201003.

Vs.

Additional Chief Secretary, Basic Education Department, Govt. of Uttar Pradesh, Vidya Bhawan, Nishantganj, Lucknow, Uttar Pradesh – 226007.

Case No. 137 of 2026 **Date: 18.11.2026**

Present: Mr. Jose Abraham, Advocate for the petitioner.
None for the respondent.

District Magistrate, Ghaziabad vide letter dated 06.10.2026 has sent original physical inspection report which was received by post before the Commission's office on 12.10.2026. The same is taken on record.

Learned counsel for the petitioner has submitted that notarized copies of all the relevant documents are already on record and he will produce the original documents for verification at the time of final hearing of the case.

List the case for final arguments on 28.01.2027.

DR. SHAHID AKHTER
MEMBER

DD

GOVERNMENT OF BHARAT
NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY
EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Shalom Matriculation Higher Secondary School, 2/13/1, Pavoorchatram, Tenkasi, Tamil Nadu-627808.

Vs.

Principal Secretary, School Education Department, Government of Tamil Nadu, Fort St. George, Secretariat, Chennai, Tamil Nadu- 600009.

Case No. 138 of 2026 **Date: 18.11.2026**

Present: Mr. Jose Abraham, Advocate for the petitioner.
None for the respondent.

Learned counsel for the petitioner has filed certified copy of Trust Deed and Amended Trust Deed by hand before the Commission's office on 09.10.2026, which are taken on record.

Despite sending reminder letter in terms of order dated 29.09.2026 to the members of the physical inspection committee, no response/physical inspection report has been received from them till now.

Learned counsel for the petitioner has submitted that members of the physical inspection committee have inspected the petitioner institution.

Office is directed to issue reminder letter again by post and email to the members of the physical inspection committee for sending the original physical inspection report in the prescribed format of the Commission, duly signed by all the members of the said committee positively before the next date of hearing.

List on 27.01.2027.

DR. SHAHID AKHTER
MEMBER

DD

GOVERNMENT OF BHARAT
NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY
EDUCATIONAL INSTITUTIONS

R.A.B. Shiksha Mahavidyalaya, Plot No. 405/1, Street No. 3, Village Akbarpur Khalsa, Post Jamahar, Gwalior, Madhya Pradesh-474016.

Vs.

Commissioner, Backward Classes and Minority Welfare Department, Government of Madhya Pradesh, Madhya Pradesh.

Case No. 151 of 2026 **Date: 18.11.2026**

Present: Mr. Iftekhar Ahmed, Advocate for the petitioner.
None for the respondent.

Despite sending letter by post and e-mail to the members of the physical inspection committee, in terms of order dated 16.09.2026, no response/physical inspection report has been received from them till now.

Office is directed to send reminder letter to members of the physical inspection committee for sending the original physical inspection report in the prescribed format of the Commission, duly signed by all the members of the physical inspection committee positively before the next date of hearing.

List on 02.02.2027.

DR. SHAHID AKHTER
MEMBER

DD

GOVERNMENT OF BHARAT
NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY
EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Shakti Vidhya Mandir Education & Training Institute, Ward No. 5, Katarkana Road, Katangi, District Balaghat, Madhya Pradesh-481445.

Vs.

Commissioner, Backward Classes and Minority Welfare Department, Government of Madhya Pradesh, Madhya Pradesh.

Case No. 152 of 2026 **Date: 18.11.2026**

Present: Mr. Iftekhar Ahmed, Advocate for the petitioner.
None for the respondent.

An e-mail dated 17.11.2026 has been received from the <adbmwbal@mp.gov.in> attaching therewith a copies of the Physical Inspection Report of two intuitions namely Shakti Vidhya Mandir Education & Training Institute, Ward No. 5, Katarkana Road, Katangi, District Balaghat, Madhya Pradesh, and Shakti Vidhya Mandir Education & Training Institute, Plot/ Khasra No. 253/2, 234/6, 236/6, 237/7, Ward No. 1, Katangi Balaghat, Madhya Pradesh, which is taken on record. Office is directed to place the copy of the report of Shakti Vidhya Mandir Education & Training Institute, Plot/ Khasra No. 253/2, 234/6, 236/6, 237/7, Ward No. 1, Katangi Balaghat, Madhya Pradesh in Case No. 153 of 2026.

Office is directed to issue letter to members of the physical inspection committee for sending the original physical inspection report in the prescribed format of the Commission, duly signed by all the members of the physical inspection committee positively before the next date of hearing.

List on 02.02.2027.

DR. SHAHID AKHTER
MEMBER

DD

GOVERNMENT OF BHARAT
NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY
EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Shakti Vidhya Mandir Education & Training Institute, Plot/ Khasra No. 253/2, 234/6, 236/6, 237/7, Ward No. 1, Katangi Balaghat, Madhya Pradesh- 481445.

Vs.

Commissioner, Backward Classes and Minority Welfare Department, Government of Madhya Pradesh, Madhya Pradesh.

Case No. 153 of 2026 **Date: 18.11.2026**

Present: Mr. Iftekhar Ahmed, Advocate for the petitioner.
None for the respondent.

In case no 152 of 2026, an email dated 17.11.2026 has been received from the <adbmwbal@mp.gov.in> attaching therewith a copy of the physical inspection report of this Petitioner institute, which is taken on record

Office is directed to issue letter to members of the physical inspection committee for sending the original physical inspection report in the prescribed format of the Commission, duly signed by all the members of the physical inspection committee positively before the next date of hearing.

List on 02.02.2027.

DR. SHAHID AKHTER
MEMBER

DD

भारत सरकार

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग

सिलिकोबाईट कटनी डिग्री कॉलेज, ज्ञानतीर्थ, कटनी, मध्यप्रदेश

बनाम

आयुक्त, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मध्य प्रदेश, विंध्यांचल भवन, मध्य प्रदेश।

केस नंबर 154/2026 **दिनांक 18.11.2026**

उपस्थिति- श्रीमान इफतेखार अहमद. अधिवक्ता याची की ओर से।

प्रतिवादी की ओर से कोई नहीं।

प्रतिवादी को रजिस्टर्ड डाक और ईमेल के माध्यम से दिनांक 30.09.2026 को पत्र भेजा गया था किंतु अभी तक आयोग के कार्यालय में भौतिक निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने बताया कि याची संस्था का निरीक्षण भौतिक निरीक्षण समिति के सदस्यों द्वारा किया जा चुका है।

कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि भौतिक निरीक्षण समिति के सदस्यों को अनुस्मरण पत्र भेजा जाये तथा भौतिक निरीक्षण रिपोर्ट सकारात्मक रूप से अगली सुनवाई से पहले भेजने का निर्देश दिया जाए।

न्यायहित में मामले को दिनांक 02.02.2027 को सूचीबद्ध किया जाए।

डॉ. शाहिद अख्तर

सदस्य

भारत सरकार

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग

डॉ. ए.पी.जे अब्दुल कलाम कॉलेज ऑ एजुकेशन, प्लॉट नं. 1140/10/के.ए. गांव पंती पोस्ट गुढ़ जिला रीवा, मध्यप्रदेश

बनाम

आयुक्त, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मध्य प्रदेश, विंध्यांचल भवन, मध्य प्रदेश।

केस नं.- 121/2026 **दिनांक 18.11.2026**

उपस्थिति- श्रीमान इफतेखार अहमद. अधिवक्ता याची की ओर से।

प्रतिवादी की ओर से कोई नहीं।

प्रतिवादी को रजिस्टर्ड डाक और ईमेल के माध्यम से दिनांक 30.09.2026 को अनुस्मरण पत्र भेजा गया था किंतु अभी तक आयोग के न्यायालय को भौतिक निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि भौतिक निरीक्षण समिति के सदस्यों को पुन: अनुस्मरण पत्र भेजा जाये तथा भौतिक निरीक्षण रिपोर्ट सकारात्मक रूप से अगली सुनवाई से पहले भेजने का निर्देश दिया जाए।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने बताया कि सभी संबंधित दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिलिपि पहले से ही रिकॉर्ड में दर्ज हैं।

न्यायहित में मामले को दिनांक 14.01.2027 को सूचीबद्ध किया जाए।

डॉ. शाहिद अख्तर
सदस्य

भारत सरकार

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग

जे.पी.बी. कॉलेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन, खसरा नं. 1/1 और खसरा नं. 25, एस.एच. 19, संकलखेड़ा काला, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश

बनाम

आयुक्त, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मध्य प्रदेश, विंध्यांचल भवन, मध्य प्रदेश।

केस नं.- 108/2026 **दिनांक 18.11.2026**

उपस्थिति- श्रीमान इफतेखार अहमद. अधिवक्ता याची की ओर से।
प्रतिवादी की ओर से कोई नहीं।

उप निदेशक पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण, विदिशा द्वारा भौतिक निरीक्षण रिपोर्ट आयोग के न्यायालय मे डाक द्वारा दिनांक 30.10.2026 को प्राप्त हुई है, जिसे रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है। भौतिक निरीक्षण रिपोर्ट के कॉलम संख्या 14 में कहा गया है कि जे.पी.बी. कॉलेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन, ग्राम संकलखेड़ा, जिला विदिशा, उक्त स्थल पर संचालित नहीं पाया गया (विस्तृत प्रतिवेदन एवं पंचनामा संलग्न)।

कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि भौतिक निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति याचिकाकर्ता के विद्वान को उपलब्ध कराई जाये, ताकि इस संबंध में याचिकाकर्ता के विद्वान वकील अपना स्पष्टीकरण दो सप्ताह के अंदर आयोग के कार्यालय में जमा कर सकें।

उपरोक्त अनुपालन के पश्चात कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण की प्रति भौतिक निरीक्षण समिति के सदस्यों को भेजी जाये तथा अगली सुनवाई से पहले सकारात्मक रूप से अपना उत्तर/प्रतिक्रिया भेजने का निर्देश दिया जाये।

न्यायहित में मामले को दिनांक 14.01.2027 को सूचीबद्ध किया जाए।

डॉ. शाहिद अख्तर
सदस्य

भारत सरकार

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग

श्री सरस्वती ज्ञानपीठ शिक्षा महविद्यालय, 62 लक्षमण नगर, देवास, मध्यप्रदेश

बनाम

आयुक्त, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मध्य प्रदेश, विंध्यांचल भवन, मध्य प्रदेश।

केस नं.- 118/2026 **दिनांक 18.11.2026**

उपस्थिति- श्रीमान इफतेखार अहमद. अधिवक्ता याची की ओर से।

प्रतिवादी की ओर से कोई नहीं।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने दिनांक 13.10.2026 को दस्ती द्वारा अल्पसंख्यक प्रमाणप पत्र जारी करने हेतु शपथपत्र जमा किया है, जिसे रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है

प्रतिवादी को रजिस्टर्ड डाक और ईमेल के माध्यम से दिनांक 05.10.2026 को अनुस्मरण पत्र भेजा गया था, किंतु अभी तक आयोग के न्यायालय को भौतिक निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आयोग के न्यायालय में कार्यालय द्वारा भेजे गये दो पत्र पस्तुत किये हैं जिसमें न्यायालय द्वारा गठित सदस्यों के अतिरिक्त क्षेत्रीय अतिरिक्त निदेशक, उच्च शिक्षा, प्रधानाचार्य, शासकीय कृष्णजीराव पवार पी.जी. कॉलेज, देवास, मध्यप्रदेश को भी नोटिस भेजा गया एवं दूसरे पत्र में जिले का नाम भी देवास की जगह उज्जैन संभाग दर्ज किया गया है, जिसके कारण भौतिक निरीक्षण समिति के सदस्यों को याची संस्था का भौतिक निरीक्षण करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा एवं पत्र भी गलत पते पर चला गया।

कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि भौतिक निरीक्षण समिति के सदस्यों को सही पते पर पुन: अनुस्मरण पत्र भेजा जाये तथा भौतिक निरीक्षण रिपोर्ट सकारात्मक रूप से अगली सुनवाई से पहले भेजने का निर्देश दिया जाए।

कार्यालय को यह भी निर्देश दिया जाता है कि अगली सुनवाई से पहले सकारात्म्क रूप से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें तथा भविष्य में इस तरह की त्रुटि न की जाये।

न्यायहित में मामले को दिनांक 14.01.2027 को सूचीबद्ध किया जाए।

डॉ. शाहिद अख्तर

सदस्य

भारत सरकार

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग

एसआरआईपीएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन, पलॉट नं. 375/1/1 बामोरी रोड, ग्राम धुमेला, गुना, मध्य प्रदेश

बनाम

आयुक्त, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मध्य प्रदेश, विंध्यांचल भवन, मध्य प्रदेश।

केस नं.- 107/2026 **दिनांक 18.11.2026**

उपस्थिति- श्रीमान इफतेखार अहमद. अधिवक्ता याची की ओर से।
प्रतिवादी की ओर से कोई नहीं।

याचीकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा संबंद्धता की नोटरीकृत प्रतिलिपि और शपथ पत्र दिनांक 13.10.2026 को आयोग के न्यायालय में दस्ती द्वारा जमा की है, जिसे रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है।

उप निदेशक पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग गनुा द्वारा भौतिक निरीक्षण रिपोर्ट आयोग के न्यायालय मे डाक द्वारा दिनांक 30.09.2026 को प्राप्त हुई है, जिसे रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने बताया कि सभी संबंधित दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिलिपि पहले से ही रिकॉर्ड में दर्ज हैं।

न्यायहित में मामले को अंतिम सुनवाई के लिए दिनांक 02.02.2027 को सूचीबद्ध किया जाए।

डॉ. शाहिद अख्तर
सदस्य

भारत सरकार

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग

मॉर्निंग स्टार स्कूल, रिटायर्ड कॉलोनी, रतलाम, मध्यप्रदेश

बनाम

आयुक्त, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मध्य प्रदेश, विंध्यांचल भवन, मध्य प्रदेश।

केस नं.- 214/2026 **दिनांक 18.11.2026**

उपस्थिति- श्रीमान इफतेखार अहमद. अधिवक्ता याची की ओर से।

प्रतिवादी की ओर से कोई नहीं।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने दस्ती द्वारा आयोग के कार्यालय में दिनांक 13.10.2026 को सात (7) दस्तावेज जमा किये हैं, जिन्हें रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है।

प्रतिवादी को राजिस्टर्ड डाक और ईमेल के माध्यम से दिनांक 29.09.2026 को पत्र भेजा गया था किंतु जो जवाब आपेक्षित था वह जवाब आयोग के माननीय न्यायालय को प्राप्त नहीं हुआ है।

मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए यह उचित होगा कि याचिकाकर्ता संस्था को अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों वाली समिति से भौतिक निरीक्षण रिपोर्ट तथा संस्तुतियां प्राप्त की जाएं:-

1. संबंधित जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि (अध्यक्ष)
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (सदस्य)
3. संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी (सदस्य सचिव)

कार्यालय को उपरोक्त प्राधिकारियों को पत्र जारी करने तथा याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को पत्र की एक प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जाता है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को भौतिक निरीक्षण समिति के सदस्यों से संपर्क करने तथा उक्त समिति को सभी संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने तथा याचिकाकर्ता संस्था के निरीक्षण के लिए भौतिक निरीक्षण समिति के समक्ष मामले को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया जाता है।

न्यायहित में मामले को दिनांक 02.02.2027 को सूचीबद्ध किया जाए।

डॉ. शाहिद अख्तर

सदस्य

भारत सरकार

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग

मॉर्निंग स्टार हाई स्कूल, गौरव नगर, रतलाम, मध्यप्रदेश

बनाम

आयुक्त, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मध्य प्रदेश, विंध्यांचल भवन, मध्य प्रदेश।

केस नं.- 213/2026 **दिनांक 18.11.2026**

उपस्थिति- श्रीमान इफतेखार अहमद. अधिवक्ता याची की ओर से।

प्रतिवादी की ओर से कोई नहीं।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने दस्ती द्वारा आयोग के कार्यालय में दिनांक 13.10.2026 को सात (7) दस्तावेज जमा किये हैं, जिन्हें रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है।

प्रतिवादी को राजिस्टर्ड डाक और ईमेल के माध्यम से दिनांक 29.09.2026 को पत्र भेजा गया था किंतु जो जवाब आपेक्षित था वह जवाब आयोग के माननीय न्यायालय को प्राप्त नहीं हुआ है।

मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए यह उचित होगा कि याचिकाकर्ता संस्था को अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों वाली समिति से भौतिक निरीक्षण रिपोर्ट तथा संस्तुतियां प्राप्त की जाएं:-

1. संबंधित जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि (अध्यक्ष)
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (सदस्य)
3. संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी (सदस्य सचिव)

कार्यालय को उपरोक्त प्राधिकारियों को पत्र जारी करने तथा याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को पत्र की एक प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जाता है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को भौतिक निरीक्षण समिति के सदस्यों से संपर्क करने तथा उक्त समिति को सभी संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने तथा याचिकाकर्ता संस्था के निरीक्षण के लिए भौतिक निरीक्षण समिति के समक्ष मामले को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया जाता है।

न्यायहित में मामले को दिनांक 02.02.2027 को सूचीबद्ध किया जाए।

डॉ. शाहिद अख्तर

सदस्य

भारत सरकार

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग

मॉर्निंग स्टार एच.एस. स्कूल, इंदरा नगर, रतलाम, मध्यप्रदेश

बनाम

आयुक्त, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मध्य प्रदेश, विंध्यांचल भवन, मध्य प्रदेश।

केस नं.- 212/2026 **दिनांक 18.11.2026**

उपस्थिति- श्रीमान इफतेखार अहमद. अधिवक्ता याची की ओर से।

प्रतिवादी की ओर से कोई नहीं।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने दस्ती द्वारा आयोग के कार्यालय में दिनांक 13.10.2026 को सात (7) दस्तावेज जमा किये हैं, जिन्हें रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है।

प्रतिवादी को राजिस्टर्ड डाक और ईमेल के माध्यम से दिनांक 29.09.2026 को पत्र भेजा गया था किंतु जो जवाब आपेक्षित था वह जवाब आयोग के माननीय न्यायालय को प्राप्त नहीं हुआ है।

मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए यह उचित होगा कि याचिकाकर्ता संस्था को अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों वाली समिति से भौतिक निरीक्षण रिपोर्ट तथा संस्तुतियां प्राप्त की जाएं:-

1. संबंधित जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि (अध्यक्ष)
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (सदस्य)
3. संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी (सदस्य सचिव)

कार्यालय को उपरोक्त प्राधिकारियों को पत्र जारी करने तथा याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को पत्र की एक प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जाता है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को भौतिक निरीक्षण समिति के सदस्यों से संपर्क करने तथा उक्त समिति को सभी संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने तथा याचिकाकर्ता संस्था के निरीक्षण के लिए भौतिक निरीक्षण समिति के समक्ष मामले को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया जाता है।

न्यायहित में मामले को दिनांक 02.02.2027 को सूचीबद्ध किया जाए।

डॉ. शाहिद अख्तर

सदस्य

भारत सरकार

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग

अलहम्द इंटरनेशलन स्कूल जियान कॉम्पलैक्स इण्डियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास बेरसिया रोड भोपाल मध्यप्रदेश

बनाम

आयुक्त, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मध्य प्रदेश, विंध्यांचल भवन, मध्य प्रदेश।

केस नं.- 211/2026 **दिनांक 18.11.2026**

उपस्थिति- श्रीमान इफतेखार अहमद. अधिवक्ता याची की ओर से।
प्रतिवादी की ओर से कोई नहीं।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने दस्ती द्वारा आयोग के कार्यालय में दिनांक 13.10.2026 को छः (6) दस्तावेज जमा किये हैं, जिन्हें रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है।

प्रतिवादी को राजिस्टर्ड डाक और ईमेल के माध्यम से दिनांक 29.09.2026 पत्र भेजा गया था किंतु जो जवाब आपेक्षित था वह जवाब आयोग के माननीय न्यायालय को प्राप्त नहीं हुआ है।

मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए यह उचित होगा कि याचिकाकर्ता संस्था को अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों वाली समिति से भौतिक निरीक्षण रिपोर्ट तथा संस्तुतियां प्राप्त की जाएं:-

1. संबंधित जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि (अध्यक्ष)
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (सदस्य)
3. संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी (सदस्य सचिव)

कार्यालय को उपरोक्त प्राधिकारियों को पत्र जारी करने तथा याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को पत्र की एक प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जाता है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को भौतिक निरीक्षण समिति के सदस्यों से संपर्क करने तथा उक्त समिति को सभी संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने तथा याचिकाकर्ता संस्था के निरीक्षण के लिए भौतिक निरीक्षण समिति के समक्ष मामले को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया जाता है।

न्यायहित में मामले को दिनांक 02.02.2027 को सूचीबद्ध किया जाए।

डॉ. शाहिद अख्तर
सदस्य